

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश  
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम  
बिहारशरीफ,नालन्दा।

**अग्रिम जमानत आवेदन सं0 343 /2026**

आकाश कुमार, पे0- कमलेश यादव  
साकिन-मई थाना-रहुई, जिला-नालन्दा.....आवेदक  
बनाम  
बिहार सरकार

**30.03.2026**

रहुई थाना कांड संख्या-45/2026 धारा- 137(2), 140(3) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आवेदक अभियुक्त आकाश कुमार की ओर से पूर्व से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0-343/26 को वापसी हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान् विशेष लोक अभियोजक को प्राप्त कराया गया।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक आकाश कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-343/26 दाखिल किया गया था। आज उनके विद्वान् अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन दाखिल कर कथन किये हैं कि आवेदक के विरुद्ध अनुसंधानकर्ता द्वारा अंतिम आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। इसलिए उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार होने का भय नहीं है। अतः वे उक्त अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेना चाहते हैं।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के विवेचना के उपरांत आवेदक के निवेदन को **स्वीकार** करते हुए आवेदक के उक्त अग्रिम जमानत आवेदन को वापसी के आधार पर **खारिज** किया जाता है।

(लेखापित एवं संशोधित)

ह0/-

(धीरज कुमार भास्कर)

अपर सत्र न्यायाधीश-षष्ठम्

सह विशेष न्यायाधीश

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

(अत्याचार निवारण) अधिनियम

नालन्दा, बिहारशरीफ।